राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1160/2016/बांसवाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाड़ा .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स डिलाईट कार्गो केरियर्स (रजि.), मुम्बई .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक 29.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 465/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, वृत–बांसवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2015 अन्तर्गत अधिनियम 2003 की धारा 76(6) के विरूद्व अधिनियम 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम 2003 की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश में राशि रू 2,93,829/– की मांग सृजित की थी जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर दिया जिसके विरूद्व विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.01.2015 को जांच अधिकारी द्वारा वाहन संख्या एचआर 38 एम 4800 का खैरवाडा टोल नाके पर चैक किया गया। वाहन चालक द्वारा वक्त जांच मैसर्स डिलाईट कार्गो केरियर्स, मुम्बई का चालान नम्बर 35990 एवं 36732 तथा उसमें अंकित बिल्टियां एवं बिल प्रस्तुत किय गये। उक्त दस्तावेजों के अुनसार माल का परिवहन भिवाडी से दिल्ली के लिये किया जाना

लगातार.....2

था, किन्तु जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संदेहास्पद मानते हुये वाहन को निरूद्व किया गया एवं क्रेता व विक्रेताओं को सत्यापित कराये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। विभागीय कम्प्यूटर सिस्टम पर जांच करने पर बिलों पर अंकित टिन नम्बर असत्यापित पाये गये तथा कुछ बिलों पर टिन नम्बर अंकित नहीं पाये गये। भौतिक सत्यापन के उपरांत संशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(2)(बी) की उल्लंघन मानते हुये शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। नोटिस की अनुपालना में प्रस्तुत जवाब को असंतोषप्रद मानते हुये अस्वीकार किया गया। परिवहनित माल को मिथ्या/कूटरचित दस्तावेजों से परिवहनित किया जाना मानते हुये माल कीमतन् रू 6,75,304/– पर शास्ति रू 2,93,829/– आरोपित की गई। अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल संबंधी दस्तावेज के संबंध में माल प्रेषित अथवा प्रेषिति की जांच नहीं की गई। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि माल राज्य के बाहर भिवाडी से दिल्ली जा रहा था। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा कहीं भी यह प्रमाणित नहीं किया है कि माल राज्य में कहा उतरेगा अथवा उतर रहा था। मात्र संशय के आधार पर शास्ति आरोपित की गई है। राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिए परिवहनित किये जा रहे माल पर शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक है। जहां तक विभागीय कम्प्यूटर से क्रेता व विक्रेता के पंजीयन संख्या की जांच का प्रश्न है, इस संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा यह जांच विभागीय कम्प्यूटर सिस्टम पर की गई है, किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा प्रेषक व प्रेषिति की कोई स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की गई। माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी धौलपुर बनाम मैसर्स भागीरथ मार्फत केलादेवी ट्रेडिंग कम्पनी, खैरीगढ अपील संख्या 356/2009/धौलपुर आदेश दिनाक 18.11.2014 (40 टैक्स अपडेट 31) में यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

".....माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये किया जा रहा था, जिससे राजस्थान राज्य को किसी प्रकार की राजस्व हानि होना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए कि यदि उन्हें प्रस्तुत दस्तावेजों पर संदेह था तो उनकी सारगर्भिता जांच कर, पर्याप्त करणों, विपरीत साक्ष्य और तथ्यों को एकत्र करने के पश्चात् कर एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही करते, जिससे उनकी कार्यवाही को विधि का बल प्राप्त होता परन्तु कर

लगातार.....3

निर्धारण अधिकारी के बिना किसी जांच के माल का परिवहन करापवंचन की मानसिकता से किया जाना मानकर, एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है, जो कि विधिक दृष्टि से प्रतिकूल है.....।

उक्त निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है कि विभागीय कम्प्यूटर सिस्टम पर पंजीयन संबंधित जांच शास्ति आरोपित करने का उचित आधार नहीं बनाया जा सकता जब तक की मामला विशिष्ट जांच से करापवंचन का नहीं पाया जाये। व्यवसायी द्वारा माल के दिल्ली पहुँच जाने संबधी कई प्रमाण पेश किये है। इसके अतिरिक्त दिल्ली की डिलेवरी देने की रसीदे अपील स्तर पर पेश की है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि माल दिल्ली मे ही डिलीवर किया गया है। इस प्रकार रज्य के बाहर भिवाडी से दिल्ली में ही डिलीवर किया गया है। इस प्रकार राज्य के बाहर भिवाडी से दिल्ली राज्य के बाहर माल जाना प्रमाणित हो जाता हैं।

3. अतः समस्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह स्पष्ट होता है कि माल के पाने वाले व्यवहारियों के संबध में किसी प्रकार की विशिष्ट जांच नही की गई तथा जिन कागजातों से माल परिवहनित किया जा रहा था उन्हें गलत साबित नहीं किया गया। यह साबित करने का भार सशक्त अधिकारी का था कि माल राज्य के भीतर खुर्दबूर्द किया जाना था। माल ट्रांजिट में ही था तथा माल को उतारा नहीं गया था। परिवहनित माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिए जा रहा था। माल राज्य में उतारा गया है अथवा उतारा जाना है, कहीं भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टांतो के अनुसरण में कर व शास्ति आरोपित किय जाना अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष विधिसम्मत एंव न्यायोचित है जिससे यह खण्डपीठ सहमत है तथा इस निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य